

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गैरसैंण।

पत्रांक 33 / 1 एल.ए.
सेवा नं.

दिनांक 03/04/2019

उप वन संरक्षक,
कैदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत ब्लाक गैरसैंण में मैखोली से नलगांव - लखेडी - वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 08 वी०/यू०सी०पी०/०६/२८२/२०१५/एफ०सी०/२१६९, दिनांक १४/०३/२०१८.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अधिरोपित ६ शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

1. शर्त संख्या ०१ के अनुपालन में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ४.३०४ हे० ग्राम सिलंगी एवं ग्राम - डडियाल गांव सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू० ११,९९,३७४.०० मात्र (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) वन विभाग के पक्ष में NEFT/ RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 6198110674 Date 27/12/2018 द्वारा धनराशि जमा कर दी गई है। भुगतान चालान की प्रति संलग्न है। उक्त सिविल भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय, चमोली का पत्र संलग्न है।
2. शर्त संख्या ०२ के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३ /२००७-एफ०सी० दिनांक ०५/०२/२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० की धनराशि रू० १८,१८,४४०.०० मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 6198110674 Date 27/12/2018 द्वारा एन.पी.वी. की शुद्ध वर्तमान धनराशि जमा कर दी गई है। भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।
3. शर्त संख्या ०३ में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, जिसका की प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. शर्त संख्या ०४ के अनुपालन में सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैंक पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन बैंक में जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
5. शर्त संख्या ०५ में सड़क निर्माण के पश्चात दोनों किनारों तथा Central Verge पर इस खण्ड द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी। वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. यह मार्ग मैखोली - खिनसर मोटर मार्ग के किमी० ०३ से प्रारंभ है। जिसका विवरण वन भूमि प्रस्ताव के प्रारूप -११ में किया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

पूर्व में इस खण्ड द्वारा हार्ड कापी भारत सरकार को प्रेषित कि गई है, जिसके अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे मार्ग में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

3-सह

पत्रांक 33 / 1 LA तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता महोदय, ७वां वृत्त, लो०नि०वि०, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैंण।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
गैरसैंण।

मिम्बोली से नलागांव - जलोढी - वस्ती से गेट 2 मार्ग ।

83/M/17836/307215

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 27-12-2018

Agency Name.	PWD CD GAIRSAIN
Application No.	6198110674
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/282/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD Gairsain Chamoli
Amount(in Rs)	3017814/-

Amount in Words : Thirty Lakh Seventeen Thousand Eight Hundred and Fourteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896198110674 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

y send a line of confirmation through

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियंता
निर्माण कार्य विभाग
दिल्ली (पश्चिमी)

जनपद चमोली के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव-लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.152 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 4.304 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/282/2015/एफ०सी०/2169 दिनांक 14.03.2018 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी गैरसैंण की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव-लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 2.152 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम सिलंगी प०वृ० पंचाली तहसील गैरसैंण की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा० सं०-11 के खसरा सं०-302 रकवा 0.095 है०, खसरा सं०-304 रकवा 0.126 है०, खसरा सं०-984 रकवा 0.800 है०, खसरा सं०-1001 रकवा 0.545 है० मध्ये 0.486 है० कुल 1.507 है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज हैं एवं ग्राम डडियाल गांव प०वृ० पंचाली की खा०ख० सं०-5 के खसरा सं०-442 रकवा 0.058 है०, खसरा सं०-460 रकवा 0.100 है०, खसरा सं०-466 रकवा 0.128 है०, खसरा सं०-517 रकवा 0.168 है०, खसरा सं०-519 रकवा 2.343 है० कुल 2.797 है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-9(3)ड. अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, अर्थात् कुल 4.304 है० भूमि को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(II) /2012-18(120)/2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(स्वाति एस० भदौरिया),

जिलाधिकारी,

चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 784/छबीस-04 (2018-2019) गोपेश्वर: दिनांक: 02 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, गैरसैंण।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, गैरसैंण।

जिलाधिकारी,

चमोली।

माखर
वन प्रभाग 110
22/11/18
20

2014

गुलेश मयन री० प-११

[illegible]

क्षेत्र - राजनगर उप
 महसिल - राजनगर उप
 जनपद - चम्पाणा, उत्तराखण्ड

10/11/20

मूलख प्रपत्र सं० ५-११

10/11/2023

जनपद-समाप्ति

[illegible]

जीयोरफरेन्स मैप - जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत मैखोली से नलगानांव लखड़ी बांसी सेम लगा अवस्थाड़ा तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



0 0.05 0.1 0.2 Km

Scale - 1:5,000

S.no.	Longitude	Latitude
42	79° 16' 57.485" E	30° 2' 18.207" N
43	79° 16' 55.923" E	30° 2' 17.046" N
44	79° 16' 54.312" E	30° 2' 16.068" N
45	79° 16' 54.980" E	30° 2' 15.665" N
46	79° 16' 55.103" E	30° 2' 15.252" N
47	79° 16' 55.217" E	30° 2' 13.857" N
48	79° 16' 54.472" E	30° 2' 13.211" N
49	79° 16' 53.395" E	30° 2' 13.072" N
50	79° 16' 53.412" E	30° 2' 12.282" N
51	79° 16' 55.723" E	30° 2' 12.681" N
52	79° 16' 55.749" E	30° 2' 14.221" N
53	79° 16' 55.919" E	30° 2' 15.095" N
54	79° 16' 56.295" E	30° 2' 16.220" N
55	79° 16' 57.138" E	30° 2' 17.089" N
56	79° 16' 58.036" E	30° 2' 17.739" N
57	79° 16' 59.364" E	30° 2' 18.836" N
58	79° 17' 0.245" E	30° 2' 19.790" N
59	79° 17' 0.862" E	30° 2' 20.300" N
60	79° 17' 1.300" E	30° 2' 20.674" N
61	79° 17' 0.794" E	30° 2' 21.071" N

खासगति सत्यापित

Legend
 GPS Co ordinates
 Proposed CA Land

S.no.	Longitude	Latitude
18	79° 16' 58.917" E	30° 2' 16.404" N
19	79° 16' 58.414" E	30° 2' 16.784" N
20	79° 16' 57.391" E	30° 2' 15.639" N
21	79° 16' 56.876" E	30° 2' 14.606" N
22	79° 16' 56.836" E	30° 2' 13.415" N
23	79° 16' 56.795" E	30° 2' 12.798" N
24	79° 16' 56.997" E	30° 2' 11.660" N
25	79° 16' 58.253" E	30° 2' 10.063" N
26	79° 16' 59.326" E	30° 2' 8.974" N
27	79° 17' 0.315" E	30° 2' 7.411" N
28	79° 17' 1.302" E	30° 2' 6.698" N
29	79° 17' 2.026" E	30° 2' 6.511" N
30	79° 17' 1.878" E	30° 2' 7.316" N
31	79° 17' 1.375" E	30° 2' 7.968" N
32	79° 17' 0.508" E	30° 2' 8.814" N
33	79° 16' 59.610" E	30° 2' 9.508" N
34	79° 16' 59.187" E	30° 2' 10.037" N
35	79° 16' 58.216" E	30° 2' 10.949" N
36	79° 16' 57.869" E	30° 2' 11.743" N
37	79° 16' 58.028" E	30° 2' 12.610" N
38	79° 16' 58.041" E	30° 2' 12.633" N
39	79° 16' 58.977" E	30° 2' 14.032" N
40	79° 16' 58.127" E	30° 2' 14.019" N
41	79° 16' 58.365" E	30° 2' 15.445" N

समयक अभिलेख
 निमाण रूप सत्यापित
 18.05.2024

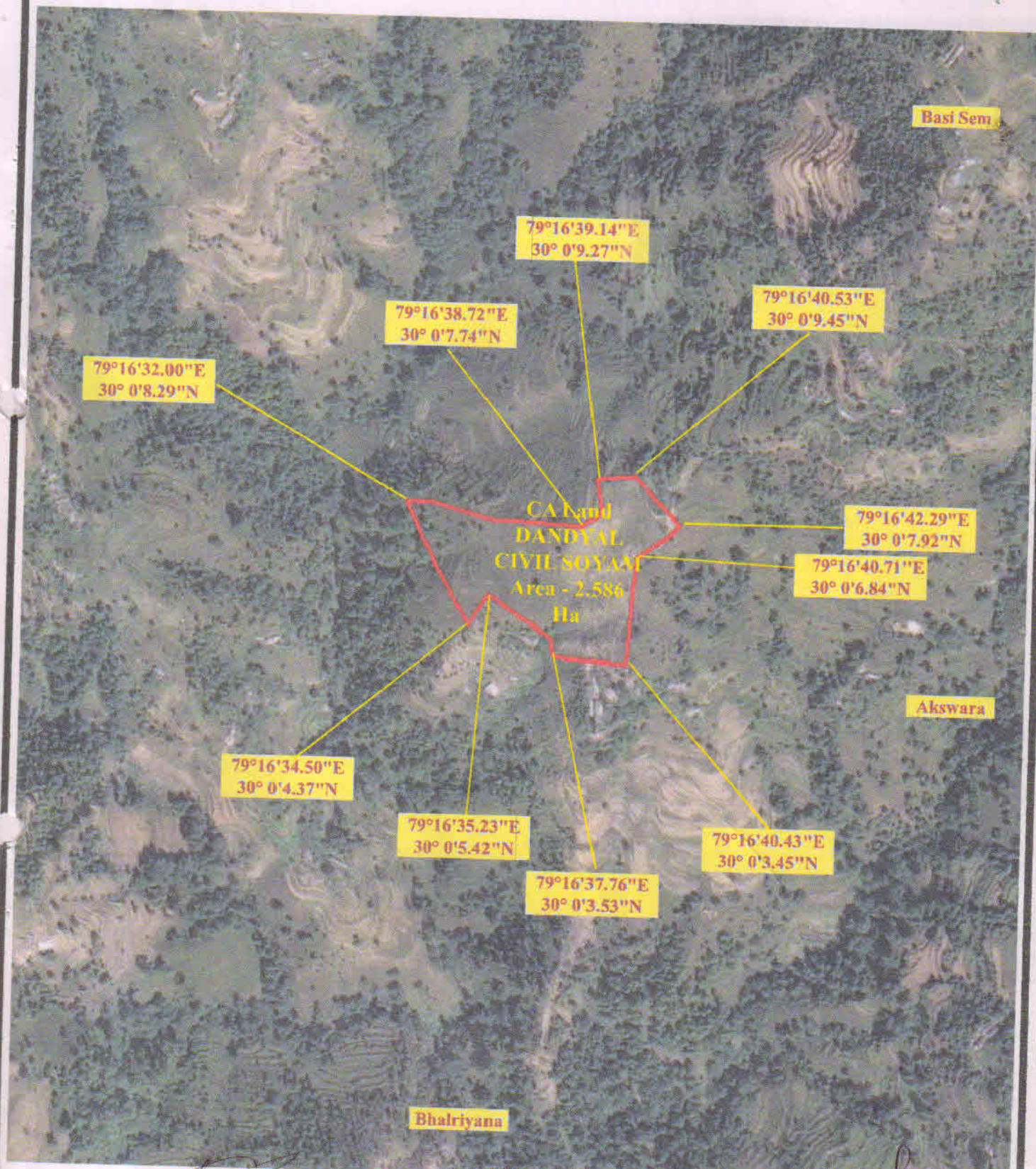
(JE)

समयक अभिलेख
 निमाण रूप सत्यापित
 18.05.2024

समयक अभिलेख
 निमाण रूप सत्यापित
 18.05.2024

समयक अभिलेख
 निमाण रूप सत्यापित
 18.05.2024

डिजिटल मानचित्र - जनपद चमोली में मैखोली खिनसर से नलगाव लखेडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल - 2.586 है०)



Legend



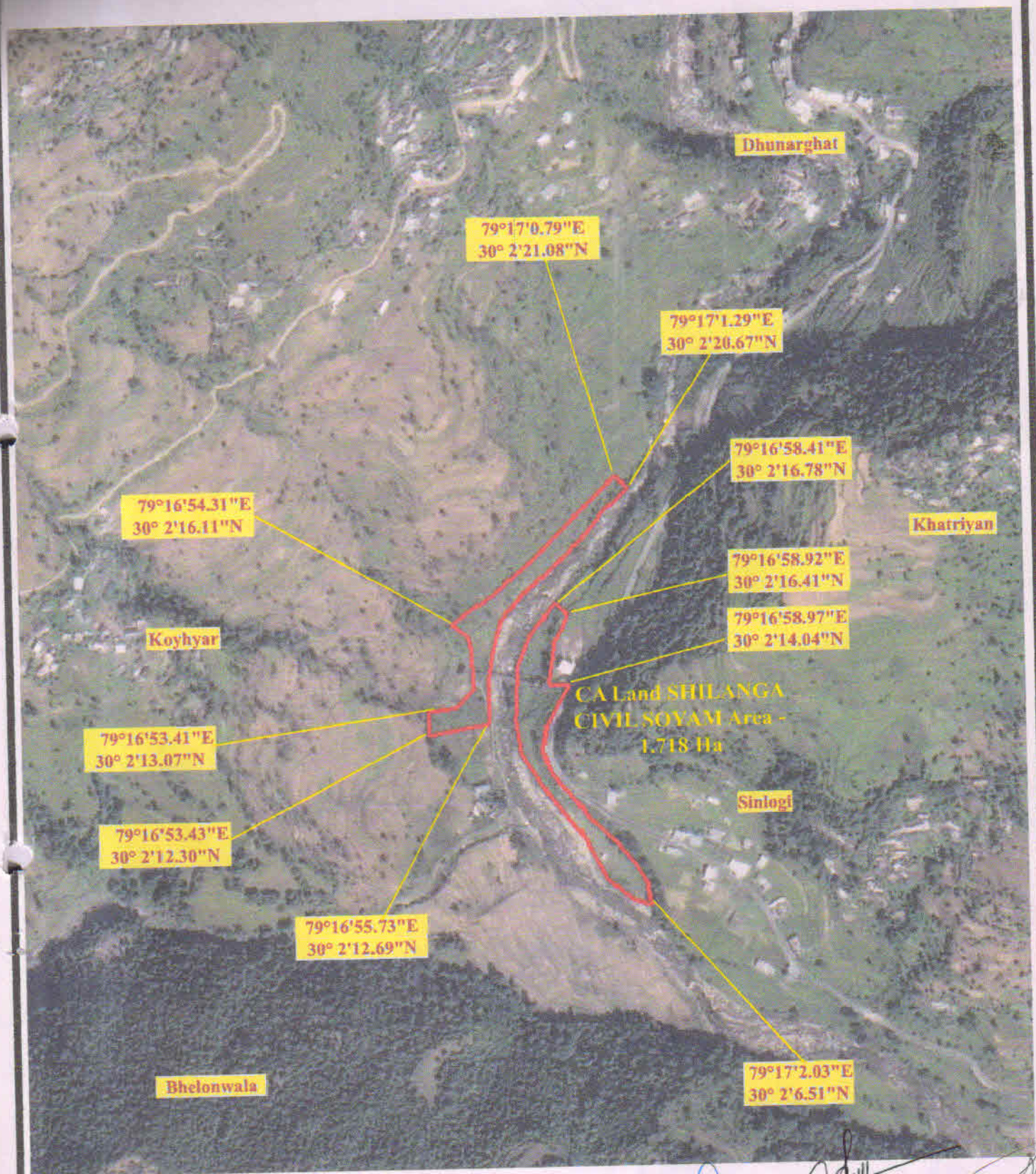
वन क्षेत्रिकारी
लोहरी जनपद में निर्माण
CA Land DANDYAL CIVIL
SOYAM Area - 2.586 Ha

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य/जीव प्रभाग
गोपबंद

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड लोहरी
चमोली

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Garstin

संक्षिप्त मानचित्र - जनपद चमोली में मैखोली खिनसर से नलगाव लखेडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल - 1.718 है०)



Legend



CA Land SHILANGA CIVIL SOYAM
Area - 1.718 Ha

सहायक अभियंता
निर्माण एवं सड़क विभाग
चमोली (दोहाली)

Executive Engineer
Construction Division
W D Garsan

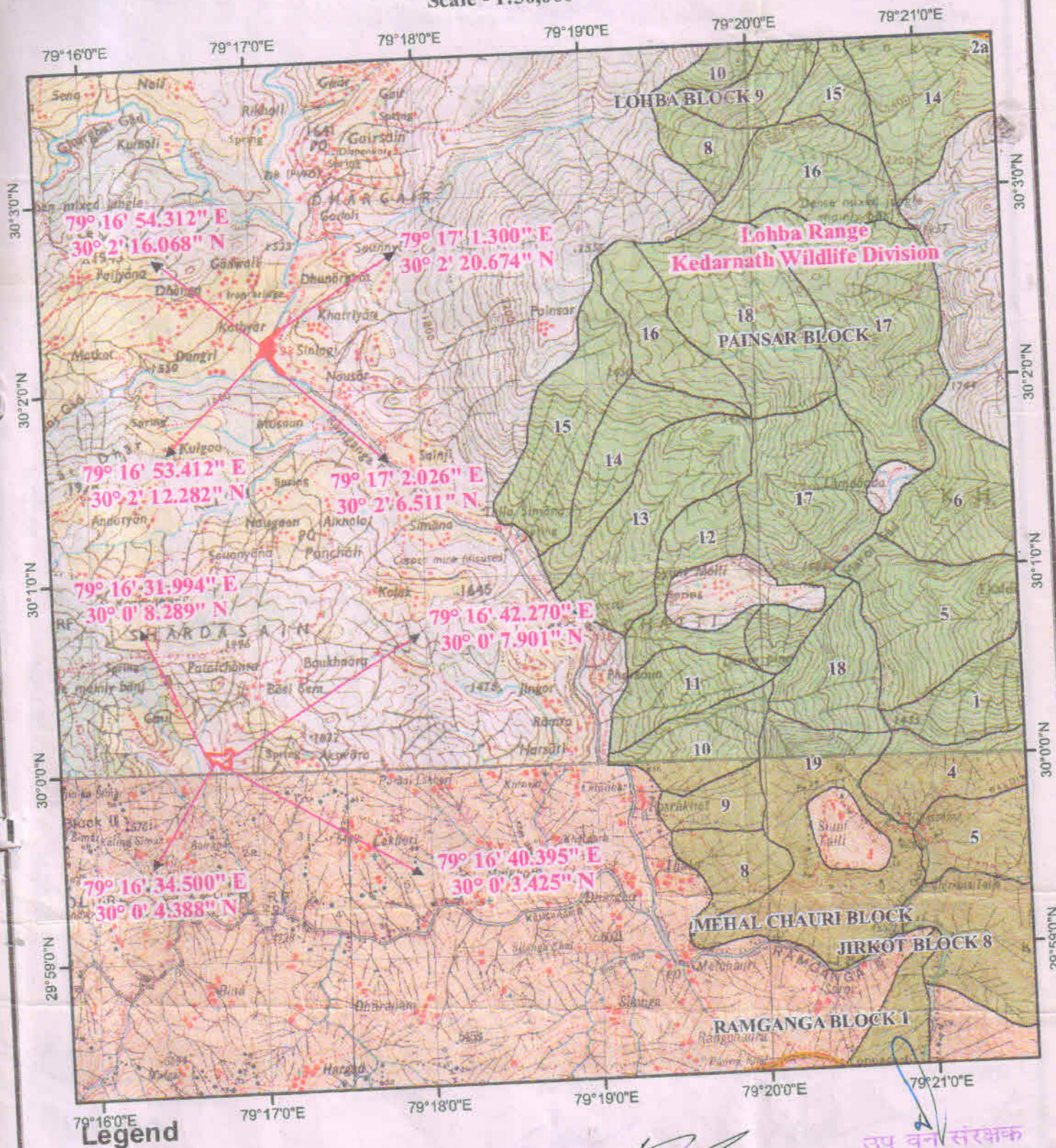
वन संचालिका
लोहावा जनपद चमोली

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

जिला नैप - जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत मैखोली से नलगांव लखेड़ी बांसी सेम लगा अक्स्वाड़ा तक मोटर मार्ग के विस्तार हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale - 1:50,000



Legend

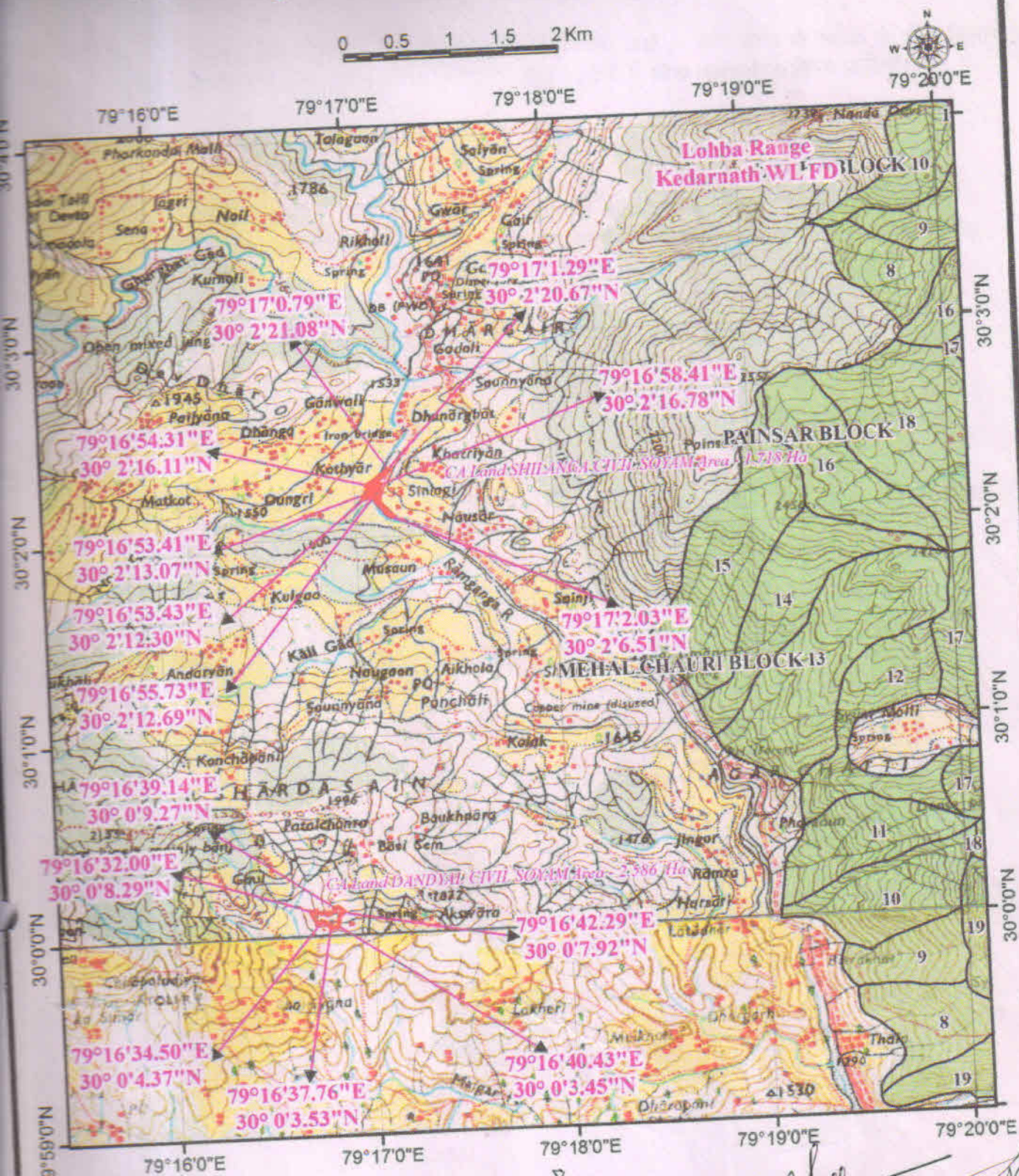
- Proposed Plantation
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary

सहायक अभियन्ता
निर्माण एवं सिंचिका
वर्तमान (चमोली)

उप वन संरक्षक
कोमलानंद दत्त जीव प्रभात
नोपेस्कर (चमोली)

अधिकांश अभियन्ता
निर्माण एवं सिंचिका
वर्तमान (चमोली)

जिल्ला मानचित्र - जनपद चमोली में मैखोली खिनसर से नलगाव लखेडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल - 4.304 है०)



सहायक अभियंता
निर्माण एवं सड़क विभाग
चमोली

उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर

Executive Engineer
Construction Division
P.W.D. Garson

वन क्षेत्राधिकारी
लोहा रेंज वनक्षेत्र प्रभाग

“Central Verge का प्रमाण – पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां – जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख – रेख में strip plantation किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
गैरसैंण



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
गैरसैंण



अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०,
गैरसैंण

अनापत्ति प्रमाण पत्र

54

आज दिनांक 16/11/11 को मैखोली से नलगांव लखेडी मोटर मार्ग की लोक निर्माण विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है। उक्त रास्ते से हम सभी ग्रामवासी सहमत हैं। तथा मोटर मार्ग सर्वेक्षण पर जो भी ग्रामवासी एवं सिविल भूमि आ रही है उस को देने में हम सहमत हैं। तथा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। हम समस्त ग्रामवासी सर्वेक्षण से पूर्ण रूप सहमत हैं। तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

दीर्घादी

- 11) पतावाट्टे
- 21) ~~पतावाट्टे~~
- 31) मयूरसिंह
- 41) मयूरसिंह
- 51) कुंवर सिंह
- 61) कुंवर सिंह
- 71) धनसिंह
- 81) धनसिंह
- 91) धनसिंह
- 101) धनसिंह
- 111) धनसिंह
- 121) धनसिंह
- 131) धनसिंह

सदस्य
जिला पंचायत चमोली
वार्ड कोठा-15

सहायक ज.
निर्माण एवं विकास
मैखोली (चमोली)

58

Government Of Uttarakhand
Office Of the District Collector : Chamoli

No.....

Dated.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry Of Environment and forest (MOEF) , Government of India's letter No 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short)on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.767 Hect of forest land proposed to be diverted in favor of P W D Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Maikholi to Nalgaw Lakhedi to Rohida Motor Road 6.00 Km Under P W D Gairsain (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Gairsain Tehsils .

It is further certified that :

S.N		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.767 Hect of civil area proposed for diversion .A copy of records of all consultations and meetings of the forest Right Committees ,Gram Sabha(s) sub-Division Level committee(s) and District level Committee are enclosed as annexure 1 to - annexure.	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers . there is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file .
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities .	not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature
(S.A. Murgeson, District Magistrate Chamoli)

सहायक आयोग
निर्माण एवं संचालन विभाग
देहरादून (चमोली)

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1**(for linear projects)****Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli**

No-----

Dated-----

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.152 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D (name of user agency) for Construction Of Maikholi to Nalgaon-Lakheri-Vasisem-Rohira M/R (purpose for diversion of forest land) in Chamoli district falls within jurisdiction of Nalgaon, Lakheri and Vasisem villages in Gairsain tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.152 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)


सहायक अधीक्षक
निर्माण एवं संचालन
चमोली (उत्तरांचल)

FORM-II**(for projects other than linear projects)****Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli**

No-----

Dated-----

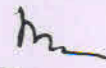
To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.152 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain (name of user agency) for **Construction Of Maikholi to Nalgaon-Lakheri-Vasisem-Rohira M/R** (purpose for diversion of forest land) in Chamoli district falls within jurisdiction of Nalgaon, Lakheri and Vasisem villages in Gairsain tehsil.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.152 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Nalgaon, Lakheri and Vasisem villages are enclosed.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)


सहायक उपनिवेश
निर्माण एवं विकास
विभाग (चमोली)

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss.I.A.S deputy commissioner,, on dated at timeat in which application claiming rights in **Gairsain** area measuring **2.152** hect for the construction of **Maikholi to Nalgaon-Lakheri-Vasisem-Rohira** M/R forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Nalgaon, Lakheri and Vasisem** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.....

Dated:.....



Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee


सहायक अतिरिक्त
निर्माण सुपरिंटेंडेंट
चैरमैन (चमोली)

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मैखोली से नलगॉव लखेडी वासीसेम मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 6.00 किमी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैण

उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैखोली से नलगॉव लखेडी वासीसेम मोटर
(2.152 हे० आरक्षित वन भूमि, 2.152 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.152 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.152 हे० वन भूमि) का लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गैरसैण) की दिनांक 31/11/20 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
| 1- श्री <u>किशोर सिंह नेगी</u> | उपजिलाधिकारी | <u>गैरसैण</u> | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>सुरेन्द्र लाल</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>गैरसैण</u> | सदस्य |
| 3- श्री <u>सुरेन्द्र लाल</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>गैरसैण</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>महेश देवा</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | <u>लखेडी वासीसेम</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मैखोली से नलगॉव लखेडी वासीसेम मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.152 हे० वन भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत मैखोली से नलगॉव लखेडी वासीसेम मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.152 हे० वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जमिनी में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- गैरसैण
जनपद- चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- गैरसैण
जनपद- चमोली

सहायक अधिकारी
निर्माण खण्ड सचिव
गैरसैण (चमोली)

परियोजना का नाम :- मेरवोली से नलगांव - लखेड़ी तासीसेम से रोड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - लखेड़ी
तहसील जालपा, जिला चण्डी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

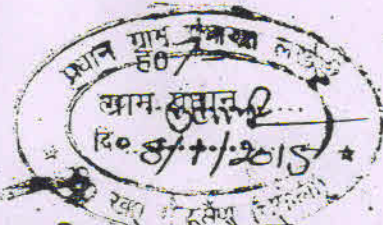
जिला चण्डी - उत्तराखण्ड में मेरवोली से नलगांव - लखेड़ी तासीसेम से रोड़ तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (—
हे० आरक्षित वन भूमि, ३.५५ हे० सिविल सोयम भूमि ३.५२ हे०, वन पंचायत भूमि
— हे०) अर्थात् कुल ७.०७ हे० वन भूमि का लो० वि० वि० विभाग/संस्था के
पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत
किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लखेड़ी द्वारा दिनांक १०/११/१५ को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के
संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार
अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर
आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट
किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का
कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु
आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित
किया गया कि ग्राम लखेड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि
लो० वि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर
कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

दिनांक को, ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत: लखेडी

क्रमांक	ग्राम सूची में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	पतापसिंह ४१ बरतारामसिंह	विमलसिंह
②	सुखारामसिंह ४२ सुबहसिंह	केदारसिंह
③	मनवतारसिंह ४३ राजारामसिंह	अनवरामसिंह
④	हरारामसिंह ४४ केदारसिंह	मठ
⑤	सुब्रह्मण्यसिंह ४५ रामरामसिंह	शुशालसिंह
⑥	लक्ष्मणसिंह ४६ गोविन्दसिंह	सुभाषसिंह
⑦	मालारामसिंह ४७ रामरामसिंह	भगवतसिंह
⑧	सुब्रह्मण्यसिंह ४८ मोहनसिंह	रघुवीरसिंह
⑨	नारायणसिंह ४९ गदबलसिंह	बागसिंह
⑩	भगवतसिंह ५० गदगामसिंह	रामसिंह

सहायक अभियन्ता
निर्माण, मुख्य संचालक
वैराग (पञ्चगती)

प्रारूप-34

परियोजना का नाम— जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मैखोली से नलगाँव लखेडी वासीसेम रोहिडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण। लम्बाई 6.00 कि०मी०।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

अधीनस्थ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

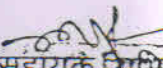
प्रारूप-39

परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मैखोली से नलगाँव लखेडी वासीसेम रोहिडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण। लम्बाई 6.00 कि०मी०।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया गया कि राज्य योजना के अन्तर्गत मेरी जमीन पर लगे की काही सिंचन रोड के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि पर प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त भूमि बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

Jat Singh
नाम- श्री जीत सिंह 5% चयनित
ग्राम- चमोली

ग्राम प्रधान



पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि ग्राम- चमोली पटवारी वृत्त
तहसील- गैरसैण जिला- चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

खता खतौनी नं०	खसरा नम्बर	लिया गया रकवा	भूमि
2	3	4	5
01	03	1156	0.011 हे०.
			0.011 हे०

अमीन
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
गैरसैण, चमोली।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
गैरसैण, चमोली।

अभियन्ता अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
गैरसैण, चमोली।

पटवारी
15/11/15
गैरसैण, चमोली

तहसीलदार
गैरसैण, चमोली

उपनिर्वाहिकारी
गैरसैण, चमोली

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
गैरसैण, चमोली

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत मेरे/मेरी तल्ला गाँव सुरवेरी नाली में
 ग्राम सुरवेरी के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी
 भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि
 प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त
 भूमि बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

कुंवर सिंह
 नाम- कुंवर सिंह ५/६ गोविन्द सिंह
 ग्राम- लखेरी



ग्राम प्रधान

ग्राम सुरवेरी पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि ग्राम- सुरवेरी पटवारी वृत्त
 तहसील- गैरसैण जिला- चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

खता खतौनी नं०	खसरा नम्बर	लिया गया रकवा	भूमि
2	3	4	5
7	722	०.००४ हे०.	०.००४ हे०

अमीन
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 गैरसैण, चमोली।

कनिष्ठ अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 गैरसैण, चमोली।

अधीक्षक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 गैरसैण, चमोली।

मुख्य अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 गैरसैण, चमोली।

तहसीलदार
 गैरसैण, चमोली।

उपजिलाधिकारी
 गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
 गैरसैण, चमोली।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली से ग्लेशियर क्षेत्र की वासी के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त भूमि बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

ग्राम प्रधान



नाम- संकर सिंह धर्म सिंह

ग्राम

प्रमाणित किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली से ग्लेशियर क्षेत्र की वासी के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

खता खतौनी नं०	खसरा नम्बर	लिया गया रकवा	भूमि
2	3	4	5
03	5	1321	0.046 हे०.
			0.046 हे०

अमीन
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

अधियासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

जे. पटवारी
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

तहसीलदार
गैरसैण (चमोली)

उपजिलाधिकारी
गैरसैण (चमोली)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

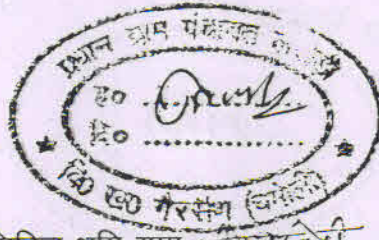
प्रमाणित किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत श्रीमती जीपली देवी गैरसैण, चमोली से ग्राम गैरसैण के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी

भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि उक्त प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त भूमि बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

नाम श्रीमती जीपली देवी गैरसैण, चमोली
ग्राम- गैरसैण, चमोली

ग्राम प्रधान



पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि ग्राम गैरसैण, चमोली पटवारी वृत्त तहसील गैरसैण जिला चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

खता खतौनी नं०	खसरा नम्बर	लिया गया रकवा	भूमि
2	3	4	5
04	11	733	0.014
			01014E6

अमीन
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

पटवारी
गैरसैण, चमोली।

तहसीलदार
गैरसैण, चमोली।

उपजिलाधिकारी
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

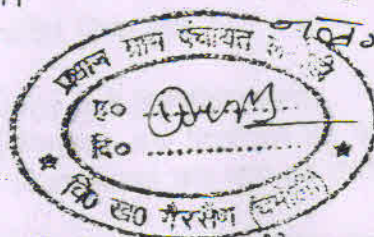
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि राज्य योजना के अन्तर्गत मेरी ग्राम दीहड़ा के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/ मक डिस्पोजल प्रस्तावित की गई है। उस प्रयोजना हेतु मेरी मि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि किसी भी अन्य ग्रामवासी की भूमि प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह वचन देती है कि उक्त भूमि बिना किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

म-स. लक्ष्म.
नाम-प्रो. र. व. न. लि. ११०
ग्राम-दो. ल. न. लि. - भुम -
न. र. व. न. लि. ११०

ग्राम प्रधान



पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल भूमि ग्राम-~~तापेन~~ पटवारी वृत्त
तहसील-~~गोदरी~~ जिला-~~चणारी~~ के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं०	खाता खतौनी नं०	खसरा नम्बर	लिया गया रकवा	भूमि
	2	3	4	5
06	11	694	0.024 हे०.	0.024 हे०

अमीन
नर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

Almond
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैन, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण विभाग, लो० नि० वि०
आसपास, गोरखपुर, जिला सी।
गोरखपुर, जिला सी।

अधिरासी अभियन्ता
निर्माण, खण्ड, लो० नि० वि०
गैरसैन, चमाली ।

पट्टासे क्षेत्र 15/1/15
गणस्व जं. वि. एक
शिव
हिमालय
मिला - चनोला

तहसीलदार
मैरसैण (बेनी)

उपजिल्हाधिकारी
गैरमैण

सहायक अभियन्ता
निर्माण धण्डा संचालन वि०
पैसा (प्राप्त)

प्रसू-48

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसैंण (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि गैरसैंण- मैखोली से नलगॉव लखेडी वासीसेम रोहिडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2015 के जनवरी महीने की 15 तारीख को निष्पादित किया गया है।

- 1- यह सहमति हो गयी है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- 2- यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/ मक डिस्पोजल हेतु जायी जानी है। उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग के नाम किया जायेगा।
- 3- यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

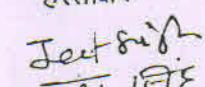
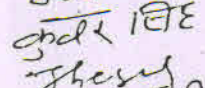
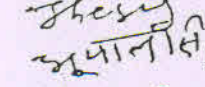
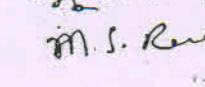
नाम- इं० के०सी०आर्या
पदनाम- अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० गैरसैंण

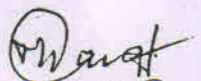


नाम भूमिधर

पिता का नाम

हस्ताक्षर

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1- जीन सिंह | पञ्च सिंह |  |
| 2- कुंवर सिंह | जोविन्द सिंह |  |
| 3- सेकर सिंह | धर्म सिंह |  |
| 4- भूपाल सिंह | राम सिंह |  |
| 5- मेहरवान सिंह | बैराम सिंह |  |


डॉ. सी. आर्या
गैरसैंण


मेहरवान (मैखोली)


जोविन्द (मैखोली)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैंण (मैखोली)

प्रारूप-51

परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मैखोली से नलगौंव लखेडी वासीसेम रोहिडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण। लम्बाई 6.00 कि०मी०।

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

07/2019

2.152 हे०

ख्या 08

स्वीकृति

सोयम
दरों को
N NO.
मि वन
चमोली

गये
for
र दी

करण

I के

की

हे,

ही
ते

प्रारूप-54

परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मैखोली से नलगौंव लखेडी वासीसेम रोहिडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.152 हे० वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण। लम्बाई 6.00 कि०मी०।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

वन अधिकांशी बोहवा
वन क्षेत्र देवद्वारा

प्रमाणित करनेवाला अधिकारी
कैदार गोपेश्वर खेकमेली।
गोपेश्वर

उप प्रमाणित करनेवाला अधिकारी
गोवर उप वन प्रभाग
गोपेश्वर

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

अधिशृङ्खला अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण, चमोली।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गैरसैण (चमोली)

07/2015

2.152 हे०

संख्या 08

स्वीकृति

न सोयम
दरों को
ON NO.
भूमि वन
चमोली

ये गये
N for
कर दी

करण

न के

की

है,

की
कृति